न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–362/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00222)

1. सतीश कुमार पुत्र राजकुमार जाट (पंजाबी) निवासी कलगांव तहसील तिजारा जिला अलवर,राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मोहरचन्द पुत्र हाकमचन्द जाति जाट, निवासी मंडा, तहसील तिजारा जिला अलवर, (मृतक जरिये वारिसान)
   - 1/01. ज्ञान देवी पत्नी मेहरचन्द,
   - 1/02. उषा रानी पत्नी स्व. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/03. सीमा पुत्री स्व.सुरेद्र पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/04. सुखपाल उर्फ सोनू पुत्र स्व. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/05. मंजू कुमारी पुत्री स्व. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/06. अंजू पुत्री स्व. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/07 .मोहित पुत्र स्व. सुरेन्द पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/08. विश्वम्भरदयाल पुत्र स्व. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/09. जोगेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/10. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/11. सुभाष कुमार पुत्र स्व. मेहरचन्द,
   - 1/12. लक्ष्मी उर्फ लम्बे पुत्री स्व. मेहरचन्द,
   - 1/13. कमलेश कुमारी पुत्री स्व. मेहरचन्द, समस्त जाति जाट निवासी कलगांव तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 30.08.2016 (प्रकरण संख्या 129/13) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा ग्राम मण्डा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 950 ग्राम मण्डा तहसील तिजारा जिला अलवर के सम्बन्ध में प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वारा आदेश दिनांक 06.08.2001 को पारित करते हुये प्रकरण तहसीलदार तिजारा को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया था तथा प्रकरण रिमाण्ड होने के पश्चात् सुनवाई हेतु तहसीलदार के समक्ष लम्बित था जिस दौरान अपीलान्ट सतीश कुमार के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थी का हक व अधिकार निहित है व कब्जा भूमि पर प्रार्थी का ही है, इस भूमि के सम्बन्ध में एक वाद उनवानी सतीश कुमार बनाम मेहरचन्द उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पेश दिनांक 27.06.2014 की नियत थी व इस सम्बन्ध में एक अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय कें समक्ष विचाराधीन है इसलिये प्रार्थी के उक्त प्रकरण में हित निहित है इसलिये प्रार्थी प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाया जाना एवं सुना जाना न्यायसंगत है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार बनाया जादें, प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2014 को तहसीलदार तिजारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा यह कथन भी किया गया कि दावा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लम्बित है व इस प्रकरण में सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध मे अपील भू प्रबंध अपील अधिकारी अलवर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 10.09.2007 को स्थगन आदेश जारी किया गया है एवं दिनांक 05.05.2015 को स्थगन आदेश निरस्त किया गया, उक्त आदेश दिनांक 05.05.2015 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी अलवर के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई व एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा उक्त अपील में दोनों पक्षो को यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनांक 15.05.2015 को पारित किये गये एवं दिनांक 03.08.2016 को उक्त अपील पर निर्णय पारित किया जाकर अपील का निस्तारण किया गया, राजस्व मण्डल द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर भी निर्णय पारित करते हुऐ अपील जो कि भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष विचाराधीन थी उसे राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर को सुनवाई हेतु मुन्तकिल किय जाने के आदेश दिनांक 18.08.2015 को पारित किये गये, अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त तथ्य तहसीलदार तिजारा के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया, दिनांक 23.08.2016 को तहसीलदार तिजारा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 पर सुनवाई की गई और कथन किया गया कि एक राजस्व वाद उनवानी सतीश बनाम मेहरचन्द उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष विचाराधीन है, भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, प्रकरण के राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने व राजस्व मण्डल के समक्ष भी प्रकरण के चलने का कथन किया गया, तहसीलदार तिजारा द्वारा प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुये अपने आदेश में यह अंकित किया कि पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण की रिमाण्ड पत्रावली में प्रार्थी के हित/अधिकार निर्धारित नही हो सकता, पत्रावली नामान्तरकरण संख्या 950 का मूल पट्टा पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद जांच नये सिरे से निर्णय पारित करने के साथ प्राप्त हुई, प्रार्थी सतीश सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अपना हक/हित निर्धारण करवा सकता है, अतः प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 अस्वीकार किया जाकर पत्रावली बहस व

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दस्तावेजात दिनांक 26.08.2016 को पेश होने व दिनांक 30.08.16 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, उपरोक्त पूर्व में पारित आदेश का उल्लेख करते हुये प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये अलॉटी मेहरचन्द की मृत्यु होने व उसके विधिक वारिस के पक्ष में जांच के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 950 पर निर्णय पारित किया जाना उचित मानते हुए मूल पट्टे की जॉच के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 950 ग्राम मण्डा तहसील तिजारा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित मानते हुये मृतक के विधिक वारिसान की जांच सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर स्वीकार करावे एवं प्रकरण आदेश दिनांक 30.08.2016 को पारित करते हुय निस्तारित किया गया जो विधि विरूद्ध पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. में उल्लेखित कथनों व दस्तावेजों को सही रूप से देखे बिना ही सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश पारित करने में भरी कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकन किया है कि प्रार्थी के हित, हक, अधिकारों का निर्धारण उसके द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर निर्धारण कराये जा सकते है जबकि न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते समय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष राजस्व वाद सतीश बनाम मेहरचन्द विचाराधीन होने का कथन किया गया था उसको भी देखे बिना सरसरी तौर पर यह अंकित किया गया कि प्रार्थी अपने हक अधिकार सक्षम न्यायालय से निर्धारित करावें। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रार्थी के द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष लम्बित रहने व माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष भी प्रकरण के लम्बित रहने का उल्लेख किया गया व वर्तमान में अपील राजस्व मण्डल के आदेश के द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के न्यायालय से राजस्व अपील अधिकारी जयपुर को सुनवाई के लिये मुन्तकिल की जा चुकी है, उक्त सभस्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि प्रार्थी के अधिकार विवादित भूमि में निहित है एवं माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय में यह मत निर्धारित किया है कि नामान्तरकरण की समरी प्रोसिडिंग में पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण नही हो सकता है बल्कि नियमित वाद या अपील विचाराधीन होता तो उस स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये, राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेकों न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित किया जो 2009(1)आर.आर.टी..पेज 376, 2009(2)आर.आर.टी.. पेज 816, 2008(1)आर..आर.टी पेज 2258, 2008(1) आर.आर.टी पेज 87, 2012(1) आर.आर.टी. पेज 520 सभी में न्यायिक निर्णय में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि वाद या अपील के लम्बित रहते हुये नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये, मौजूद प्रकरण में भी उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष नियमित वाद के विचाराधीन का तथ्य भी न्यायालय के समक्ष होने के बावजूद भी उनके द्वारा सरसरी तौर पर यह मानना कि प्रार्थी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

भी अपने हक अधिकार के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें, जो स्पष्ट रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व दस्स्तावेज के विपरित पारित आदेश है एवं प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर खारिज किये जाने का आदेश पारित किये गये है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट उपरोक्त वर्णित तथ्यों व न्यायिक दृष्टान्तों क आधार पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को पुनः सुनवाई हेतु मौका दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/10 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध, सरोकार व किसी भी प्रकार का कोई लेना–देना नही है तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का किसी प्रकार कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट का प्रकरण में किसी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई ही नही है तो अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत करने के कानूनन अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन होने का कथन कर न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित हुऐ है लेकिन अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के हक, अधिकार निहित होने से सम्बन्धी एवं वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट की लोकस स्टेण्डाई सम्बन्धी किसी प्रकार के तथ्यें प्रस्तुत नही किये गये। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2016 को यथावत रख जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर